भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *236

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की सुरक्षा

*236. श्री बैन्नी बेहनन:

श्री मनीश तिवारी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुराने सड़क बुनियादी ढांचे के अनुरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय लागू किए हैं, क्योंकि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों पर होने वाली मृत्यु की दर 25 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अप्रशिक्षित / अकुशल बोलीदाताओं को सार्वजनिक क्षेत्र की संविदाएं प्राप्त करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में प्रत्येक पुल की स्थिति और जीवनावधि का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा/नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सड़कों के बुनियादी ढांचे विशेषकर पुराने पुलों की संरचनात्मक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र आरंभ करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की सुरक्षा' के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन, श्री मनीश तिवारी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *236 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का रखरखाव और विकास एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, पुराने/खस्ताहाल पुलों सहित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/पुनर्वास/पुनर्निर्माण का कार्य वार्षिक आधार पर किया जाता है। पुराने/बदतर पुलों की मरम्मत/पुनर्वास/पुनर्निर्माण या तो स्टैंडअलोन आधार पर या राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का सुधार/उन्नयन के हिस्से के रूप में किया जाता है। बदहाली की प्रकृति और सीमा, कार्यात्मक आवश्यकता, जिस भार के लिए कोई विशेष पुल तैयार किया गया था उसकी तुलना में वर्तमान भार आदि के आधार पर मरम्मत/पुनर्वास उपाय तय किए जाते हैं।

(ख) कार्यान्वयन के विभिन्न तरीकों (ईपीसी/एचएएम/बीओटी) के तहत रारा परियोजनाओं के लिए ठेकेदार/रियायग्राही प्रापण के लिए बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से बोलीदाताओं की तकनीकी और वित्तीय योग्यता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। पुलों / सुरंगों जैसे विशिष्ट परियोजना घटकों सहित रारा परियोजनाओं की लागत और आकार के आधार पर इस तरह की योग्यता आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, अनुबंध/रियायत समझौते में निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करने और परियोजना में देरी से बचने के लिए मंत्रालय ने दिनांक 06.10.2021 और दिनांक 04.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से रारा और केंद्र प्रायोजित अन्य सड़क परियोजनाओं में ठेकेदार/रियायग्राही को गैर-निष्पादक के रूप में प्रतिबंधित/दंडित/घोषित करने के लिए एसओपी जारी किया है।

(ग) से (ड.) कुछ पुराने पुलों को छोड़कर आमतौर पर पुल के निर्माण का वर्ष/ अनुमानित आयु ज्ञात होती है। मंत्रालय पुलों की वास्तविक स्थिति के आवधिक मूल्यांकन के लिए निरीक्षण/रखरखाव प्रोटोकॉल की एक सुस्थापित प्रणाली का अनुपालन करता है। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने पुलों के निरीक्षण और स्थिति सर्वेक्षण के लिए मैनुअल/विस्तृत दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2015 से 2019 तक परामर्शदाताओं के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों की सूची और स्थिति के आंकडे एकत्र किए हैं। पुलों के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के निकट पहुंच के लिए मुख्य रूप से मोबाइल ब्रिज निरीक्षण इकाई का उपयोग करके पुल का निरीक्षण किया गया था। हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रारा के लिए पुल प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) विकसित करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया है, जो देश में रारा पर सभी पुलों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराएगा।

*****